गंगा कावेरी परियोजना को पूरा किया जाना

8224. डा० बापू कालदाते :
श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बाढ़ तथा सूखे पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से गंगा कावेरी परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डा० के० एल० राव द्वारा की गई कल्पना के अनुसार गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने के प्रस्ताव पर इसकी निषेधात्मक लागत, बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता और बाढ़ नियंत्रण लाभों से रहित होने के कारण सरकार द्वारा आगे कार्रवाई नहीं की गई। तथापि, सरकार द्वारा तैयार किए गए जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के वास्ते अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का अंतरण करने हेतु अलग से विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के मध्य अन्तः संपर्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने इन प्रस्तावों को सुदृढ़ करने के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन० डब्ल्यू० डी० ए०) की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कुल 36 अंतरण सम्पर्कों में से 17 प्रायद्वीपीय घटकों और 19 हिमालयी घटकों का पता लगाया गया हैं। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 9 संपर्कों पर अध्ययन पूरे किये गये हैं, शेष संपर्कों के अध्ययन आठवीं योजना में सम्मिलित किये गये हैं। प्रायद्वीपीय घटक के 9 संपर्कों और हिमालयी घटक के 3 सम्पर्कों के सर्वेक्षण और अन्वेषण अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये हैं।

Reconstitution of Punjab WAKF Board

2285. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab Wakf Board continues to be under supersession for about a decade;

(b) if so, when it was superseded for the first time and how long its supersession will continue; and

(c) the reasons for continuing the period of supersession for such a long time despite the demands from the Muslims of the area to reconstitute the Punjab Wakf Board?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Punjab Wakf Board has been under supersession since 11th November 1981. The present period of superssion of the Board expires on 31st October, 1993.

(c) The Board was placed under supersession as it abused its powers and failed to discharge the duties imposed on it under the Wakf Act, 1954. Also, the erstwhile constituted Board was perpetually in deficit and unable to raise enough income inspite of having huge valuable properties. Pending decision on the future set up of the Board. It has been considered administratively desirable to continue the Board under supersession.